



जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

4 जनसत्ता, 2 फरवरी, 2018

राजधानी-दो

रियल एस्टेट के लिए स्वागत योग्य

सरकार ने 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल (सभी के लिए आवास) के लिए धनराशि तय करना रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्वागत योग्य कदम है। हालांकि रेरा और जीएसटी लागू होने के बाद बजट में बिल्डर और खरीदार, दोनों के पक्ष में और कुछ और फैसले लिए जाने चाहिए थे।



-मनोज गौर, उपाध्यक्ष क्रेडाई (राष्ट्रीय)

रियल एस्टेट को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं



बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिला है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि कुछ ऐसा जरूर है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को फायदा पहुंच सकता है। ढांचागत विकास (इंफ्रास्ट्रक्चर) और

अफोर्डेबल हाउसिंग के अलावा बजट में रियल एस्टेट के लिए कुछ नहीं है।

-धीरज जैन, निदेशक महागुन बिल्डर

सरकार ने 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल (सभी के लिए आवास) के लिए धनराशि तय करना रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्वागत योग्य कदम है। हालांकि रेरा और जीएसटी लागू होने के बाद बजट में बिल्डर और खरीदार, दोनों के पक्ष में और कुछ और फैसले लिए जाने चाहिए थे।



-मनोज गौर, उपाध्यक्ष क्रेडाई (राष्ट्रीय)